

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

New Delhi, dated 19.09.201

S. No. PC-VII 🔞 🔿 No.PC-VI/2011/IR-A/2

The GMs/CAOs(R), All Indian Railways & Production Units

(As per mailing list)

Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 - Clarification

under Second Proviso under Rule 5 regarding option on

promotions between 1.1.2006 & the date of notification.

Railway Board's Notification GSR 643(E) dated 04.9.2008. Ref : -

Second proviso to Rule 5 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 provides that "Provided further that in cases where a Railway servant has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion, upgradation of pay scale etc. the Railway servant may elect to switch over the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation etc." References have been received from some of the Railways and Federations seeking clarification regarding admissibility of option from the date of second promotion during the period 01.01.2006 to date of notification of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance and it is clarified that as per RS(RP) Rules, 2008, a Railway servant has the option to have his pay fixed from the date of his second promotion, if he has granted two promotions/upgradations between 01.01.2006 and 29.8.2008. In such cases, however, the Railway Servant concerned will not be entitled to draw any arrears on account of 6th CPC w.e.f.01.01.2006 till the date of effect of option exercised on second promotion.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Hari Krishan)

Director, Pay Commission-II

Railway Board.

No.PC-VI/2011/IR-A/2

New Delhi, dated 19 .09.2012

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)

For Financial Commissioner, Railways.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पीसी**-VI/** उ*ै।* सं. पीसी**-VI/**2011/आईआर-ए/2

आरबीई सं./०५/2012 नई दिल्ली, दिनांक / 9.09.2012

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर) सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां, (डाक सूची के अनुसार)

विषयः रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - 01.01.2006 और अधिसूचना

की तारीख के बीच पदोन्नतियों पर विकल्प देने के संबंध में नियम 5 के

द्वितीय उपबंध के अंतर्गत स्पष्टीकरण।

संदर्भ: रेलबे बोर्ड का दिनांक 04.09.2008 की अधिसूचना जीएसआर 643(ई)।

रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 5 के द्वितीय उपबंध में यह कहा गया है कि 'बशर्ते कि उन मामलों में जहां रेल सेवक को 01.01.2006 और पदोन्नित, वेतनमान के अपग्रेडेशन आदि के कारण इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, तो रेल सेवक ऐसी पदोन्नित, अपग्रेडेशन आदि की तारीख से संशोधित वेतन संरचना को अपना सकता है'। कुछ रेलों और फेडरेशनों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 01.01.2006 की अविध से रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना की तारीख के दौरान दूसरी पदोन्नित की तारीख से विकल्प की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया है।

2. इस मामले की वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार यदि रेल कर्मचारी को 01.01.2006 और 29.8.2008 के बीच दो पदोन्नितयाँ/अपग्रेडेशन प्रदान की गई हैं, तो उसके पास दूसरी पदोन्नित की तारीख से अपने वेतन को निर्धारित कराने का विकल्प उपलब्ध हैं। बहरहाल, ऐसे मामलों में, संबंधित रेल कर्मचारी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार, 01.01.2006 से दूसरी पदोन्नित पर विकल्प देने की प्रभावी तारीख तक किसी भी प्रकार के बकाया प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है

(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग -।।

रेलवे बोर्ड.

सं. पीसी-**VI**/2011/आईआर-ए/2

नई दिल्ली, दिनांक. 19.09.2012

प्रतिलिपिः भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक(रेलवे), कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

कृते वित्तं आयुक्तं, रेलवे।